

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 22/06/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 33,33,33,333/- (रुपये तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु० 83,33,33,333/- (रुपये तिरासी करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्राक-1293 दिनांक- 04.06.2026 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में 60.40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 33,33,33,333/- (रुपये तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु० 83,33,33,333/- (रुपये तिरासी करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

2- उक्त वर्णित बिन्दु के आलोक में राजकोषीय माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में 60.40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु० 33,33,33,333/- (रुपये तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र सहित कुल राशि रु० 83,33,33,333/- (रुपये तिरासी करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-223/7A दिनांक-22/06/26 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन प्रदान की जाती है । इस राशि का व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा PM-ABHIM के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा ।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से प्रथम Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2026-27)					
SL No	Letter No.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%)	Total
	PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform				
	G 27018/22/2026-27/NHM-F/FTS-8399493	01-06-2026	50 00 00,000	33.33,33,333	83 33 33.333
	Total		50,00,00,000	33,33,33,333	83,33,33,333

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्राक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- वर्तमान में बजटीय उपबन्ध में उपलब्ध राशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा:-

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परियोजना-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 110-अस्पताल तथा औषधालय- 0204-प्रधान मंत्री -- आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210021100204	53-01 मुख्य निर्माण कार्य	26,99,07,000	17,99,38,000	44,98,45,000
2	मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परियोजना-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210027890201	53-01 मुख्य निर्माण कार्य	15,94,72,000	10,63,14,667	26,57,86,667
3	मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परियोजना-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210027960201	53-01 मुख्य निर्माण कार्य	7,06,21,000	4,70,80,666	11,77,01,666
	कुल योग		50,00,00,000	33,33,33,333	83,33,33,333

4

6- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

7- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं०-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

8- योजना अंतर्गत केन्द्राश एवं राज्याश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
PM-ABHIM अंतर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH	BR212-BR Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM- ABHIM) (3991) (GOBHSPARSHPMABHIM)	01585501143	RBI

10- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार/ भारत सरकार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

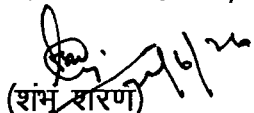
11- यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

14- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।
Nurul

ज्ञापांक-7 / बजट-46-41 / 2024-25- ११४(7A) / स्वा०, पटना, दिनांक-११/०६/२०२६

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
iluxed